भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2575
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तम्बाकू प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन अवसंरचना
2575. डॉ. बायरेड्डी शबरीः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मूल्यवर्धित तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देकर तम्बाकू किसानों के लिए उच्च लाभ सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए खेत-से-कारखाना संपर्कों का, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) स्वदेशी तम्बाकू प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के बुनियादी ढांचे की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार कितना निवेश किया गया है;
(ग) वैश्विक मूल्य अस्थिरता से तम्बाकू किसानों का संरक्षण करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार के पास किसानों की आय को सतत रूप से बढ़ाने के लिए ऐसे स्वदेशी खेत-से-प्रसंस्करण संपर्कों को और मजबूत करने और विस्तारित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में तम्बाकू/तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम/योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन तंबाकू बोर्ड को फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के उत्पादन और विपणन को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया। बोर्ड अपने अधिदेश के अनुसार, एक मौसम पहले ही एफसीवी तंबाकू की फसल के आकार (क्रॉप साइज़) की योजना बनाता है और उसके उत्पादन को नियंत्रित करता है। तत्पश्चात, तंबाकू बोर्ड किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य एवं व्यापारियों को तंबाकू की निर्धारित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी आयोजित करता है।

तंबाकू बोर्ड, मूल्यवर्धित तंबाकू उत्पादन को बढ़ावा देकर तंबाकू किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने हेतु सीधे तौर पर खेत-से-कारखाने के संपर्कों से संबंधित कार्य नहीं करता है। तथापि, बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी विपणन क्षमता में सुधार के लिए उपाय किए हैं, जिससे किसानों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एवं किसानों को वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए भी आवश्यक उपाय किए हैं। केंद्रित प्रयासों के कारण, एफसीवी तम्बाकू किसान वर्ष 2020-21 से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम रहे हैं और इस अवधि के दौरान निर्यात राजस्व भी दोगुने से अधिक हो गया है। किसानों को उनके एफसीवी तम्बाकू उत्पाद के लिए प्राप्त होने वाला मूल्य (औसत) वर्ष 2020-21 में 135.24 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 279.54 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात का मूल्य भी वर्ष 2020-21 में 6,496.99 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 16,728.02 करोड़ रुपये हो गया।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान (एनआईआरसीए), राजमुंदरी भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तम्बाकू में किस्म विकास, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों और पत्ती की गुणवत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। आईसीएआर-एनआईआरसीए किसानों तक प्रौद्योगिकियों एवं अच्छी कृषि पद्धतियों का सक्रिय रूप से प्रसार कर रहा है।

*****